न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक – रीडर/2017/1696 दिनांक 15/7/17

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 458/16 अनवान अमराराम वगैरा बनाम नानगाराम वगैरा अन्तर्गत धारा 251 ए में निर्णय की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त अनवान में निर्णय दिनांक 14.07.2017 को पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 की पालना करते हुए पालना रिपोर्ट की सूचना 15 दिवस में पेश करे।

सलंग्न – निर्णय की प्रमाणित प्रति।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन :– 458/16 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

प्रार्थीगण :– 1. अमराराम 2.मोतीराम 3.खेतााम 4.गेनाराम
पि. गुणेशाराम जाति जाट, निवासी ईशरोल, तहसील चौहटन

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1.नानगाराम 2.तिलोकाराम 3.मदाराम 4.मानाराम पि. विरधाराम
जाति दर्जी, निवासी ईशरोल, तहसील चौहटन।
5.तहसीलदार एवं उपपंजीयक चौहटन।

वकील प्रार्थीगण :– **श्री वीरमाराम धारासर**

विप्रार्थीगण वकील :– **श्री जगदीश पोटलिया**

निर्णय

दिनांक 14.07.2017

प्रार्थीगण अमराराम पुत्र गुणेशाराम जाति जाट, निवासी ईशरोल, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत खसरा सं. 693/407 रकबा 84.09 बीघा मौजा ईशरोल, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर में स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित फार्म में आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उसकी उक्त जोत पर आने जाने हेतु विप्रार्थीगण के खसरा सं. 694/407 रकबा 94.13 बीघा मौजा ईशरोल के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है । अतः प्रार्थीगण को रास्ता दिया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त । प्रार्थीगण वकील ने वादग्रस्त खसरों की मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिसे स्वीकार कर तहसीलदार को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुइ। जो पत्रावली शामिल की गई। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश पोटलिया ने वकालतनामा पेश किया। जो पत्रावली शामिल किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कोर्ट कैम्प चौहटन में दिनांक 14.07.17 को पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया।

चुंकि प्रस्तुत आवेदन एवं मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की मांग की गई

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जिन खसरों से रास्ता दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :– .

क्र.सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	693/407	84.04	बा.सो.	20	0.05	ईशरोल	नानगाराम, तिलोकाराम, मदाराम पि. विरधाराम, मानाराम पुत्र विरधाराम, कौम दर्जी, सा.ईशरोल खातेदार

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट एवं सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा इस में लाल रंग से दर्शाया गया 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीगण द्वारा देय होगी और प्रार्थीनी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व फर्द मौका निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

(लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।

3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में **"रास्ता"** के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।

5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 14.07.2017 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2017 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प चौहटन मे सुनाया गया।

(भागीरथराम)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
चौहटन

मौका फर्द

राजस्व आवेदन सं. 458/16 अनवान अमराराम बगैरा बनाम नानगाराम बगैरह U/S 251A R.T. Act

---

आज दिनांक 01-01-2017 को श्रीमान तहसीलदार साहब चौहटन के आदेश क्रमांक/भू०अ०/2016/3653 दिनांक 6-12-2016 की पालना में राजस्व आवेदन सं. 458/16 अनवान अमराराम बगैरह बनाम नानगाराम बगैरह में प्रार्थीगण के खेत मौजा ईशरोल के ख०नं. 694/407 व ~~रास्ते~~ रास्ते हेतु आवेदित विप्रार्थीगण के खेत ख०नं. 693/407 का मौका मुआयना रूबरू प्रार्थीगण व अन्य मौतबरान के कर, राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण से चाहे गए रास्ते व वर्तमान उपयोग में लिए जा रहे रास्ते के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई। प्रार्थीगण के अनुसार सड़क से उनके खेत ख०नं. 694/407 तक विप्रार्थीगण के खेत से होकर ही आना-जाना होता था परन्तु खेत की सीमा को लेकर प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य विवाद व मुकदमेबाजी होने से विप्रार्थीगण ने करीब 2 साल पूर्व प्रार्थीगण के खेत तक आने जाने का उक्त रास्ता बन्द कर दिया। वर्तमान में कभी कहीं से, कभी कहीं से होकर पैदल ही आना जाना होता है जबकि साधन लेकर खेत जाने-आने हेतु कोई स्थायी मार्ग नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत ख०नं. 694/407 में आने जाने हेतु चाहे गए रास्ते का मौके पर अवलोकन किया गया, प्रार्थीगण ने अपने खेत ख०नं. 694/0407 के कोने, संलग्न नक्शे दर्शाये बिन्दु "A" से धनाऊ to रागीगांव डामर सड़क बिन्दु "D" तक विप्रार्थीगण के खेत ख०नं०

Ex count

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

पटवार तारातरा

693/407 व 680/349 में से रास्ता चाहा है परन्तु प्रार्थीगण ने राजस्व आवेदन में रास्ते हेतु केवल ख.नं. 693/407 का ही उल्लेख किया है।

प्रार्थीगण के खेत, रास्ते हेतु आवेदित भूमि, ख.नं. 693/407 व प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते की मौका स्थिति व राजस्व रेकर्ड में स्थिति का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण द्वारा चाहे अनुसार डामर सड़क ख.नं. 681/349 से प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 694/407 में आने जाने के लिए रास्ते हेतु आवेदित भूमि ख.नं. 693/407 व सड़क के बीच में, सड़क के समानान्तर स्थित करान मार्ग व विप्रार्थीगण का ही खेत ख.नं. 680/349 रकबा 7.19 बीघा भूमि स्थित है।

उक्त करान मार्ग सड़क के पास-पास सड़क के समानान्तर होने से आने-जाने हेतु अनुपयोगी व मौके पर बन्द होने से करान मार्ग का मौके पर कोई निशानात मौजूद नही है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे अनुसार प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 694/407 के कोने, संलग्न नक्शे में दर्शाये बिन्दु "A" से रास्ते हेतु आवेदित भूमि व करान मार्ग की सीमा बिन्दु "B" तक बरंग लाल ख.नं. 693/407 में रकबा 0.05 बीघा व करान मार्ग बिन्दु "C" से डामर सड़क बिन्दु "D" तक बरंग काला, ख.नं 680/349 में रकबा 0.04 बीघा कुल रकबा 0.09 बीघा रास्ते में समाविष्ट हो रही है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा रास्ते हेतु केवल ख.नं. 693/407 का ही आवेदन पेश करने के कारण प्रार्थी के खेत ख.नं. 694/407 में आने जाने हेतु रास्ते के लिए प्रार्थीगण के खेत के कोने बिन्दु "A" से करान मार्ग ~~तक~~ बिन्दु "B" तक बरंग लाल दर्शित ख.नं. 693/407 में से रकबा 0.05 बीघा प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है और न ही

उक्त प्रस्तावित रास्ते में कोई कीमती पेड़ अथवा मकान, दुकान, बाड़ा आदि स्थित है।

संलग्न नक्शे में दर्शाये बिन्दु x करण मार्ग से प्रार्थीगण के बिन्दु Z तक विप्रार्थीगण के खेत ख॰नं॰ 693/407 की सीमा xYZ के सहारे प्रार्थीगण के खेत तक आने जाने के लिए रास्ता प्रस्तावित करने पर ख॰नं॰ 406 रकबा 0-12 बीघा गै॰मु॰ ढाणी की भूमि बीच में आ जाने के कारण विप्रार्थीगण के खेत ख॰नं॰ 693/407 के बीच (मध्य) में से प्रार्थीगण के लिए रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो प्रार्थी के खेत से न्यूनतम लम्बाई का भी है।

क्र॰ सं॰	खातेदार का नाम व पता	ख॰ सं॰	रकबा (बीघा)	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	DLC दर	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नानगाराम तिलोका राम मदाराम पि॰ बिरधाराम माना राम पुत्र बिरधा राम कौम दर्जी सा॰ ईशरोल खातेदार	693/407	84-09	20 फिट	0-05 बीघा (पांच बिस्वा)	21330/ सिंचित सड़क के पास	5333/- रुपये	बा॰सो॰

[signature] 01/2017 पं॰ ईशरोल

अमराराम S/o गुणेशाराम (प्रार्थी)

धनाराम (धनाराम S/o गेनाराम)

01/01/2017 LPR तारातरा

रामाराम S/o अमराराम

खेताराम S/o गुणेशाराम

Ex court [signature]

तेजाराम S/o मोतीराम

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

नक्शा किश्तवार (आंशिक)
मौजा ईशरोल
तह: चौहटन
पैमाना - 1" = 80 गट्ठा

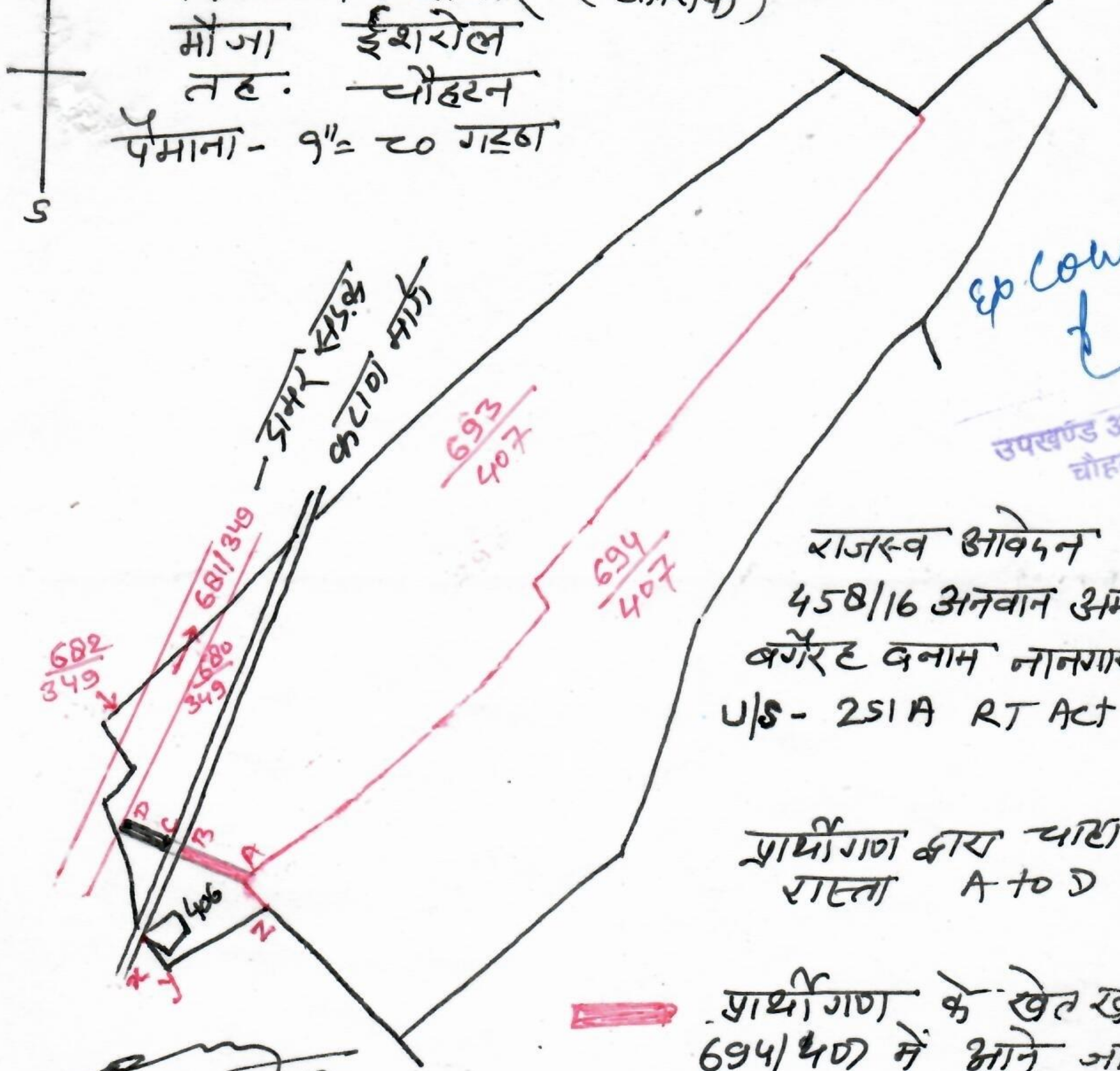

राजस्व आवेदन सं. 458/16 अनवान अमराराम वगैरह बनाम नानगाराम वगैरह U/S - 251A RJ Act

प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता A to D

प्रार्थीगण के खेत ख. नं. 694/407 में आने जाने के लिए ख. नं. 693/407 में से प्रस्तावित रास्ता A to B रकबा 0-05 बीघा

01/01/2017
ILR तारातरा

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

हि. नि.
अमराराम S/o
गुणेशाराम
(प्रार्थी)

राजस्व … हेतु …
प्रमाणित …
… ईशरोल

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

रामाराम S/o अमराराम

खेताराम S/o गुणेशाराम

धन्नाराम
(धन्नाराम / गंगाराम)

तेजाराम
तेजाराम / मोतीराम